[2018] 13 एस. सी. आर 1133

ए.

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम

अभिजीत सिंह पवार

(2018 की सिविल अपील संख्या 11356) 26 नवंबर, 2018

बी.

[उदय उमेश ललित और

डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून:उम्मीदवार की नियुक्ति-पूर्वजों और उपयुक्तता-तथ्यों पर विचार करते हुए, प्रत्यर्थी ने सूबेदार, पलटन कमांडरों और पुलिस निरीक्षकों के पदों के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया-एक हलफनामे में यह खुलासा किया गया कि उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है-चार दिनों के भीतर पक्षों के बीच समझौता किया गया और अपराधों के संयोजन के लिए आवेदन की अनुमति दी गई-इसके बाद, प्रत्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा में किया गया, हालांकि, उसकी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दिए जाने के खिलाफ लिखित याचिका-डिवीजन बेंच द्वारा बरकरार रखा गया आदेश-अपील पर कहा गया:एक उम्मीदवार द्वारा खुलासा किए जाने के बाद भी, नियोक्ता को उम्मीदवार के पूर्ववृत्त और उपयुक्तता पर विचार करने का अधिकार होगा-नियोक्ता निश्चित रूप से उस नौकरी के विवरण को ध्यान में रख सकता है जिसके लिए चयन किया जाता है, उम्मीदवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता और क्या बरी होना एक सम्मानजनक बरी होना था या केवल संदेह के लाभ के आधार पर या रचना के परिणामस्वरूप था-तथ्यों पर, रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव देता है कि प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का निर्णय दुर्भावना से प्रेरित था या किसी अन्य गणना पर पीड़ित था-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़ना:**1.1** तत्काल मामले में**,** जिस तारीख को प्रत्यर्थी ने आवेदन किया था**,** उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था।इस तरह के लंबित होने का खुलासा करने वाला एक हलफनामा दायर किए जाने के बाद ही समझौता किया गया था।एक उम्मीदवार द्वारा खुलासा किए जाने के बाद भी**,** नियोक्ता उम्मीदवार के पूर्ववृत्त और उपयुक्तता पर विचार करने के अपने अधिकारों के भीतर होगा।इस पर विचार करते हुए**,** नियोक्ता निश्चित रूप से नौकरी को ध्यान में रख सकता है।

जी.

एच.

1133 ए.

1134 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 13 एस. सी. आर.

प्रोफाइल जिसके लिए चयन किया जाता है**,** उम्मीदवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता और क्या प्रश्न में बरी होना एक सम्मानजनक बरी होना था या केवल संदेह के लाभ के आधार पर या रचना के परिणामस्वरूप था।**[**पैरा **15] [1145-**बी**-**डी**]**

1.2 अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव देता हो कि प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय किसी भी तरह से दुर्भावना से प्रेरित था या किसी अन्य कारण से पीड़ित था।प्रत्यर्थी की उपयुक्तता के सवाल पर निर्णय बिल्कुल सही था और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।एकल न्यायाधीश के साथ**-**साथ खंड पीठ द्वारा दिए गए निर्णयों को दरकिनार कर दिया जाता है। **[**पैरा **17] [1145-**जी**-**एच**]**

बी.

सी.

पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली और एक अन्य बनाम।

मेहर सिंह (2013) 7 एससीसी 685:[2013] 13 एससीआर 432;

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम परवेज खान (2015) 2 एससीसी 591; केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम प्रदीप कुमार और

डी.

एक और (2018) 1 एससीसी 797:[2018] 1 एससीआर 112; अवतार

सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (2016) 8 एस. सी. सी. 471:

[2016] 7 एस. सी. आर. 445; मोहम्मद इमरान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2018 (10) जे. टी. 15-संदर्भित।

ई.

मामला कानून संदर्भ

[2013] 13 एससीआर **432**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

(2015) 2 एस**.** सी**.** सी**. 591**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

[2018] 1 एससीआर **112**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

एफ.

[2016] 7 एससीआर **445**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

2018 (10) जे**.** टी**. 15**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2018 की सिविल अपील संख्या 11356

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.09.2015 से, 2015 की रिट अपील संख्या 132 में इंदौर की पीठ।राजेश श्रीवास्तव, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता।

जी.

सिद्धार्थ दवे, (ए. सी.), सुश्री जन्तीबेन ए. ओ., अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

1135

मध्य प्रदेश राज्य बनाम अभिजीत सिंह पवार ए

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे. 1.अनुमति दी गई यह अपील 2015 की रिट अपील No.132 में इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित 22.09.2015 के फैसले और आदेश की शुद्धता को चुनौती देती है।

बी.

2. 2012 में, व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड, मध्य प्रदेश ने सूबेदार, प्लाटून कमांडर और पुलिस निरीक्षकों के पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए।विज्ञापन का खंड 1.13 उम्मीदवारों के चरित्र सत्यापन से संबंधित है।उक्त खंड 1.13 का सही अनुवाद और उसमें संलग्न टिप्पणी निम्नलिखित प्रभाव से थाः

सी.

“ 1.13 नियुक्तिःचयनित उम्मीदवारों के बारे में चरित्र सत्यापन किया जाएगा और केवल चयन सूची में पाए जाने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति उन्हें चरित्र में उपयुक्त पाए जाने पर की जाएगी।उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच भी की जाएगी।नियुक्ति की पात्रता के लिए उम्मीदवार का चिकित्सकीय रूप से योग्य होना भी आवश्यक है।

डी.

ध्यान देंःसमय बचाने और सुविधा के लिए, शारीरिक फिटनेस परीक्षा में बैठने के लिए योग्य घोषित उम्मीदवारों को सत्यापन प्रपत्र पहले भेजा जाता है, जिसे उम्मीदवारों को भरने के बाद जमा करना होता है और साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए सभी उम्मीदवारों के चरित्र और पहले का सत्यापन किया जाता है।जो उम्मीदवार नहीं चुना गया है, उसके फॉर्म का आगे उपयोग नहीं किया जाएगा।उम्मीदवारों को चरित्र सत्यापन प्रपत्र में पूरी और सही जानकारी भरनी चाहिए।उन्हें कोई गलत जानकारी, अधूरी जानकारी और अर्ध-सत्य जानकारी प्रदान नहीं करनी चाहिए।उन्हें किसी भी जानकारी को नहीं छिपाना चाहिए। विशेष रूप से कॉलम संख्या में सही जानकारी भरना आवश्यक है।12.अब चरित्र सत्यापन के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, इस आशय का वचन देने के लिए आवश्यक है कि उन्होंने आपराधिक मामलों के बारे में पहले दिए गए विवरणों में कोई तथ्य नहीं छिपाया है।”

ई.

एफ.

जी.

3. प्रत्यर्थी ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और अनिवार्य रूप से, निम्नलिखित जानकारी का खुलासा करते हुए 22.12.2012 पर एक शपथ पत्र प्रस्तुत कियाः

एच.

1136

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 13 एस सी आर।

"मैं शपथ पर पुष्टि करता हूं कि मेरे खिलाफ माधव नगर पुलिस स्टेशन में धारा 323,325,506,34 के तहत मामला दर्ज किया गया था।मैं स्वयं अदालत में आया था।मुझे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया।उपरोक्त मामला न्यायालय में विचाराधीन है।इसके अलावा भारत में कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है, न ही अदालत द्वारा किसी भी आपराधिक मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है।"

बी.

4. प्रकटीकरण के अनुसार, वर्ष 2006 में दर्ज एक मामला उस तारीख को लंबित था जब शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था।हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि चार दिनों के भीतर, मूल वादी और प्रत्यर्थी के बीच एक समझौता किया गया था और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को बढ़ाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था।न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, उज्जैन, एम. पी. के समक्ष दिनांकित कार्यवाही के प्रासंगिक भागों का सही अनुवाद इस प्रकार हैः

सी.

"मामले की जांच की गई।यह मामला अभियुक्त की उपस्थिति के लिए सूचीबद्ध है।आरोपी को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।.....अभियुक्त की ओर से मुचलका ज़ब्त करने की राशि आदेश के अनुपालन में रसीद No.85 के माध्यम से जमा की गई थी।रसीद अभियुक्त को दे दी गई।

डी.

इसी स्तर पर, राजीव रावत ने धारा 320 (2) Cr.P.C के तहत समझौते के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया और व्यक्त किया कि उनके और आरोपी व्यक्तियों के बीच एक समझौता किया गया है ताकि चक्रवृद्धि की अनुमति दी जा सके।आवेदन की प्रति ए. डी. पी. ओ. को दी गई थी। शेष अभियुक्त व्यक्ति शशांक अधिवक्ता के साथ मौजूद हैं।मैंने समझौते का मामला सुना।मामले की जांच की गई।

ई.

एफ.

अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मामला भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 354,325/34,323,506 भाग-2 के तहत अपराधों का होने के कारण समझौते के लिए उपयुक्त है।वर्तमान वादी समझौते के लिए एक सक्षम पक्ष है।अतः चक्रवृद्धि की अनुमति दी जा सकती है।

जी.

पार्टियों ने समझौते का एक विलेख प्रस्तुत किया, जिसमें संयुक्त रूप से फोटो के साथ हस्ताक्षर किए गए।पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्ता ने की थी।दोनों पक्षों ने कहा है कि समझौता बिना किसी डर और दबाव के स्वेच्छा से किया गया था।इसलिए, सत्यापन के बाद चक्रवृद्धि के लिए आवेदन की अनुमति दी गई थी।ए के परिणामस्वरूप

एच.

1137

मध्य प्रदेश राज्य बनाम अभिजीत सिंह पवार [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

इस संयोजन के तहत, अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 354,325/34,323,506 भाग-2 के तहत आरोपों से बरी कर दिया जाता है।

अभियुक्त व्यक्तियों के जमानत बांडों को खारिज कर दिया जाता है।”5. इस प्रकार, कार्यवाही इंगित करती है कि पहले के अवसर पर प्रस्तुत बांड की राशि को गैर-अनुपालन के लिए जब्त कर लिया गया था; कि प्रत्यर्थी को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था और पक्षों के बीच समझौता करने के बाद, अपराधों के चक्रवृद्धि के लिए आवेदन की अनुमति दी गई थी।

बी.

6. प्रत्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा में किया गया था और उन्हें चिकित्सा जांच के लिए बुलाया गया था।लगभग उसी समय, उनके चरित्र का सत्यापन भी किया गया था।चरित्र सत्यापन रिपोर्ट पर उचित विचार करने के बाद, प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी को हालांकि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (चयन/भर्ती), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा पारित 19.07.2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।उक्त आदेश निम्नलिखित रूप में मनाया गयाः-

सी.

डी.

“3-बी समान सेवा/रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों की सेवाएं अन्य सेवाओं और उम्मीदवारों से अलग श्रेणी के तहत आती हैं।चयनित उम्मीदवारों का कर्तव्य राज्य की कानून-व्यवस्था बनाए रखना और जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है।पुलिस सेवा के लिए उच्च नैतिक आचरण और आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना आवश्यक है।3-ग. सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सरकार के साथ उत्कृष्ट आचरण के सिद्धांतों के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को उच्च चरित्र का होना चाहिए।चूँकि पुलिस विभाग के अधिकारी आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए जनहित में आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को नियुक्त करना उचित नहीं है।”

ई.

एफ.

7. प्रत्यर्थी ने व्यथित होने के कारण, 2013 की रिट याचिका No.9412 इंदौर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की, जिसमें उपरोक्त आदेश दिनांक 19.07.2013 को चुनौती दी गई थी।उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और निम्नानुसार निर्देश दियाः

जी.

“... याचिकाकर्ता को उस स्थिति में नियुक्त किया जाएगा जब उसका नाम योग्यता सूची में आता है और वह योग्यता के अनुसार नियुक्त होने का हकदार होता है।याचिकाकर्ता पिछले वेतन को छोड़कर सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।”

एच.

8. राज्य ने 2015 की रिट अपील No.132 दायर करके एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी, जिसे डिवीजन बेंच द्वारा बिना किसी योग्यता के चुनौती दी गई थी।एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार की इस प्रकार खंड पीठ द्वारा अपने निर्णय और दिनांक 22.09.2015 के आदेश के माध्यम से पुष्टि की गई, जो निर्णय वर्तमान में चुनौती के अधीन है।

9. चूंकि प्रत्यर्थी ने मामले में सेवा दिए जाने के बावजूद उपस्थिति दर्ज नहीं करने का फैसला किया था, इसलिए इस अदालत ने विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे से न्यायमित्र के रूप में

सहायता करने और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने का अनुरोध किया।हमने राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश श्रीवास्तव और प्रत्यर्थी के लिए न्यायमित्र श्री सिद्धार्थ दवे को सुना।

बी.

सी.

10. विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि एम. पी. पुलिस कार्यकारी (राजपत्रित नहीं) सेवा भर्ती नियम, 1996 के नियम 12 (3) के अनुसार, सूची में किसी उम्मीदवार का नाम शामिल करने से नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा और यह कि एक उम्मीदवार को नियुक्त करने से पहले हर तरह से उपयुक्त पाया जाना चाहिए।पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करते हुए

डी.

दिल्ली और एक अन्य बनाम मेहर सिंह **1,** मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम परवेज खान **2** और केंद्र शासित प्रदेश**,** चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम प्रदीप कुमार और अन्य **3**

प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था और दुर्भावना का कोई आरोप नहीं होने के कारण, विचाराधीन निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था।दूसरी ओर, विद्वान न्यायमित्र श्री सिद्धार्थ दवे ने कहा कि Cr.P.C की धारा 320 (8) के आधार पर अपराध की संरचना से बरी होने का प्रभाव पड़ेगा।उन्होंने आगे कहा कि प्रत्यर्थी ने किसी भी जानकारी को नहीं छिपाया था और उन्हें बरी कर दिया गया था, उच्च न्यायालय उनकी चुनौती को स्वीकार करने में सही था।श्री डेव ने आगे के निर्णयों पर भरोसा किया

ई.

एफ.

यह न्यायालय अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य **4** और मोहम्मद इमरान बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य **5** में है।

11. मेहर सिंह (उपरोक्त) में विचाराधीन चयन कांस्टेबल (कार्यकारी) के पद के लिए था। मेहर सिंह के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341,323 और 427 के तहत आरोप लगाए गए थे। वह आ गया था।

जी.

1 (2013) 7 एस. सी. सी. 685

2 (2015) 2 एस. सी. सी. 591

3 (2018) 1 एस. सी. सी. 797

4 (2016) 8 एस. सी. सी. 471

5 2018 की सिविल अपील No.10571 में, 12.10.2018 पर निर्णय लिया गया।

एच.

1139

मध्य प्रदेश राज्य बनाम अभिजीत सिंह पवार [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

ए.

वादी के साथ एक समझौते पर और समझौते के संदर्भ में, मेहर सिंह और अन्य सह-अभियुक्तों को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 323,341 और 427 के तहत अपराधों से बरी कर दिया गया।इसके बाद किए गए चयन में कहा गया कि मेहर सिंह ने अपनी संलिप्तता और बरी होने के बारे में तथ्य का खुलासा किया था।हालाँकि, संबंधित स्थायी आदेश के अनुसार उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी।उनके द्वारा उठाई गई चुनौती को प्रशासनिक न्यायाधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।लेकिन इस न्यायालय ने कहा कि इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 23,24,25,33 से 35 में दिए गए निर्णय और टिप्पणियां वर्तमान उद्देश्यों के लिए काफी प्रासंगिक हैं:-

बी.

“23. नीति के सावधानीपूर्वक अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जांच समिति नैतिक अधमता के गंभीर मामलों में शामिल व्यक्तियों को पुलिस बल से बाहर रखने की हकदार होगी, भले ही उन्हें बरी कर दिया जाए या छुट्टी दे दी जाए, अगर उसे लगता है कि बरी करना या आरोपमुक्त करना तकनीकी आधार पर है या सम्मानजनक नहीं है।जाँच समिति किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने के अपने अधिकार के भीतर होगी यदि वह पाती है कि बरी होना अभियोजन मामले के संचालन में किसी गंभीर दोष पर आधारित है या भौतिक गवाहों के प्रतिकूल होने का परिणाम है।जाँच समिति के केवल अनुभवी अधिकारी ही यह निर्णय ले सकेंगे कि क्या बरी किए गए या छुट्टी दिए गए उम्मीदवार के पुलिस बल में पद पर नियुक्त होने पर अधिक ताकत और जोश के साथ भविष्य में इसी तरह की गतिविधियों में लौटने की संभावना है।जाँच समिति को अपराध में ऐसे व्यक्ति की संलिप्तता की प्रकृति और सीमा और कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के बजाय बिगड़ने का कारण बनने की उसकी प्रवृत्ति पर विचार करना होगा।हमारी राय में, दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई यह नीति इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप के योग्य नहीं है क्योंकि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना प्रतीत होता है कि केवल त्रुटिहीन चरित्र वाले व्यक्ति ही पुलिस बल में प्रवेश करें।24. हम इस तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं कि उत्तरदाताओं की उम्मीदवारी को रद्द करके, जांच समिति ने आपराधिक अदालत के फैसलों को दरकिनार कर दिया है।हम जानते हैं कि आपराधिक मामले और विभागीय जांच के बीच सह-संबंध का सवाल सीधे तौर पर यहां नहीं उठता है, लेकिन इसके संबंध में इस न्यायालय

द्वारा निर्धारित सिद्धांतों से समर्थन प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि इसमें शामिल मुद्दा कुछ हद तक समान है, अर्थात्, क्या संदिग्ध ईमानदारी वाले व्यक्ति को विभाग में काम करने की अनुमति दी जाए।जबकि आपराधिक मामले में सबूत का मानक

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1140

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 13 एस सी आर।

यदि सबूत सभी उचित संदेह से परे है, तो विभागीय कार्यवाही में सबूत संभावनाओं की प्रधानता है।अक्सर आपराधिक मामले बरी होने में समाप्त हो जाते हैं क्योंकि गवाह मुकर जाते हैं।इस तरह के बरी होना योग्यता के आधार पर बरी होना नहीं है।संदेह के लाभ के आधार पर बरी होना एक पूर्ण परीक्षण के बाद योग्यता के आधार पर बरी होने के बराबर नहीं होगा, जहां गवाहों के जीत जाने का कोई संकेत नहीं है।आर. पी. कपूर बनाम भारत संघ 6 में इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि विभागीय कार्यवाही तब भी आगे बढ़ सकती है जब कोई व्यक्ति तब बरी हो जाता है जब बरी होना सम्मानजनक नहीं होता है।

बी.

25. "सम्मानजनक बरी" अभिव्यक्ति पर विचार किया गया था

सी.

एस. समुथिरम 7 में यह न्यायालय।उस मामले में यह न्यायालय उस स्थिति से चिंतित था जहां एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 509 और छेड़छाड़ अधिनियम की धारा 4 के तहत आपराधिक मामला लंबित था। उस मामले में प्रमुख गवाहों से पूछताछ न होने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया था।आपराधिक मामले के संचालन में एक गंभीर त्रुटि थी।दो भौतिक गवाह मुकर गए।भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम भोपाल सिंह पांचाल 8 में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए, जहां कुछ हद तक इसी तरह की स्थिति में, इस न्यायालय ने

किसी कर्मचारी को सेवा में बहाल करने से इनकार करने की बैंक की कार्रवाई को इस आधार पर बरकरार रखा कि आपराधिक मामले में उसे संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया था और इसलिए, यह एक सम्मानजनक बरी नहीं था, इस न्यायालय ने कहा कि विभागीय कार्यवाही में लगाए गए दंड को रद्द करने में उच्च न्यायालय उचित नहीं था।इस न्यायालय ने कहा कि "सम्मानजनक बरी", "दोषमुक्त" और "पूरी तरह से दोषमुक्त" शब्द दंड प्रक्रिया संहिता या दंड संहिता के लिए अज्ञात हैं।वे न्यायिक घोषणाओं द्वारा बनाए जाते हैं।यह परिभाषित करना मुश्किल है कि "सम्मानपूर्वक बरी" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है।इस अदालत ने कहा कि जब अभियोजन पक्ष के मामले पर पूरा विचार करने के बाद आरोपी को बरी कर दिया जाता है और अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहता है, तो संभवतः यह कहा जा सकता है कि आरोपी को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

6 ए. आई. आर. 1964 एससी 787 7 (2013) 1 एस. सी. सी. 598 8 (1994) 1 एस. सी. सी. 541 ए

एच.

1141

मध्य प्रदेश राज्य बनाम अभिजीत सिंह पवार [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

33. जहाँ तक प्रत्यर्थी मेहर सिंह का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मामले से समझौता किया गया है।यह आग्रह किया गया था कि समझौते के अनुसार दर्ज किए गए बरी होने को अयोग्यता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उद्देश्य को विफल कर देगा।हम इस प्रस्तुति में कोई योग्यता नहीं देखते हैं।विवादों को शांत करके समाज में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण लाने के लिए समझौतों या समझौतों को प्रोत्साहित करना होगा।उन्हें मामलों के बकाया को कम करने और वादियों को लंबित मुकदमेबाजी की पीड़ा से बचाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।लेकिन इन विचारों को यहां नहीं लाया जा सकता है।पुलिस बल की सत्यनिष्ठा और उच्च मानक बनाए रखने के लिए, जाँच समिति किसी समझौते का संज्ञान लेने से इनकार कर सकती है, यदि यह संदिग्ध प्रतीत होता है।जाँच समिति को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

बी.

सी.

34. प्रत्यर्थीगण इस तथ्य से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके आवेदन और/या सत्यापन प्रपत्र में उन्होंने एक आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया है।हम यह नहीं देखते कि यह तथ्य उनके मामले को कैसे सुधारता है।आवेदन/सत्यापन प्रपत्र में इन तथ्यों का खुलासा एक आवश्यक आवश्यकता है।उम्मीद की जाती है कि एक उम्मीदवार इन तथ्यों को ईमानदारी से बताएगा।ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पुलिस बल की अंतर्निहित आवश्यकताएँ हैं।इसलिए, प्रत्यर्थीगणओं को इस प्रकटीकरण के कारण किसी भी ब्राउनी अंक प्राप्त करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।इसके अलावा, इस मुद्दे से इसका कोई लेना-देना नहीं है।यह दोहराया जाता है कि यह तय करते समय कि क्या एक व्यक्ति जिसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और जिसे बाद में बरी कर दिया गया था या छुट्टी दे दी गई थी, उसे पुलिस बल में किसी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, अपराध की प्रकृति, उसकी संलिप्तता की सीमा, क्या बरी होना एक स्पष्ट बरी होना था या संदेह का लाभ देकर बरी होना था क्योंकि गवाह शत्रुतापूर्ण हो गए थे या अभियोजन में कुछ गंभीर दोष के कारण, और ऐसे व्यक्ति की भविष्य में इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होने की प्रवृत्ति प्रासंगिक है।यह निर्णय, हमारी राय में, केवल दिल्ली पुलिस द्वारा उस उद्देश्य के लिए बनाई गई जाँच समिति द्वारा लिया जा सकता है।यदि जांच समिति का निर्णय दुर्भावनापूर्ण नहीं है या बाहरी विचारों से प्रेरित नहीं है, तो इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

35. पुलिस बल एक अनुशासित बल है।समाज में कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी इसके कंधों पर है।लोग इसमें बहुत विश्वास और विश्वास रखते हैं।यह उस विश्वास के योग्य होना चाहिए।पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार को अत्यंत ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए।उसके पास त्रुटिहीन चरित्र और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए।आपराधिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति इस श्रेणी में फिट नहीं होगा।भले ही वह आपराधिक मामले में बरी या आरोपमुक्त हो जाता है, उस दोषमुक्त या आरोपमुक्त

करने के आदेश की जांच यह देखने के लिए की जानी चाहिए कि क्या उसे मामले में पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया है क्योंकि उसके अपराधों में शामिल होने की संभावना भी पुलिस बल के अनुशासन के लिए खतरा है।इसलिए स्थायी आदेश ने इन मामलों में निर्णय लेने का काम जांच समिति को सौंपा है।जाँच समिति के निर्णय को अंतिम रूप में लिया जाना चाहिए जब तक कि यह दुर्भावनापूर्ण न हो।हाल के दिनों में पुलिस बल की छवि धूमिल हुई है।पुलिस कर्मियों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करके गलत तरीके से व्यवहार करने के उदाहरण सार्वजनिक हैं और चिंता का विषय हैं।पुलिस बल की प्रतिष्ठा को झटका लगा है।ऐसी स्थिति में, हम दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई जांच समिति जैसे तंत्र के महत्व और प्रभाव को कम नहीं करना चाहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन व्यक्तियों के पुलिस बल की विश्वसनीयता को कम करने की संभावना है, वे पुलिस बल में प्रवेश न करें।साथ ही, जाँच समिति को उसमें रखे गए विश्वास के महत्व के प्रति सचेत रहना चाहिए और सभी उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।"

बी.

सी.

डी.

ई.

12. मेहर सिंह (ऊपर) के निष्कर्षों का पालन किया गया है और इस न्यायालय द्वारा बाद के निर्णयों में दोहराए गए सिद्धांतों, अर्थात्

एम**.** पी**.** बनाम राज्यपरवेज खान **(**ऊपर**)** और केंद्र शासित प्रदेश में**,** चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य बनाम प्रदीप कुमार और

एफ.

एक और (ऊपर)।13. अवतार सिंह बनाम भारत संघ (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ को आपराधिक मामलों में संलिप्तता और उसके प्रभाव से संबंधित मुद्दों पर सूचना को दबाने या सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी जमा करने के सवाल पर इस न्यायालय के फैसलों में मतभेद पर विचार करने की आवश्यकता थी।इस मुद्दे पर कानून का निपटारा इस न्यायालय द्वारा अपने फैसले के पैराग्राफ नंबर 38 में निम्नलिखित शब्दों में किया गया थाः

जी.

एच.

1143

मध्य प्रदेश राज्य बनाम अभिजीत सिंह पवार [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

ए.

“38. हमने विभिन्न निर्णयों को देखा है और जहां तक संभव हो उन्हें समझाने और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है।उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्ष का सारांश इस प्रकार देते हैं:

38.1.एक उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता को दी गई जानकारी, चाहे वह सेवा में प्रवेश करने से पहले हो या बाद में, दोषसिद्धि ठहराए जाने, बरी किए जाने या गिरफ्तारी, या किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के बारे में, सही होनी चाहिए और आवश्यक जानकारी का कोई दमन या गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए।

बी.

38.2.गलत जानकारी देने के लिए सेवाओं की समाप्ति या उम्मीदवारी को रद्द करने का आदेश पारित करते समय, नियोक्ता ऐसी जानकारी देते समय मामले की विशेष परिस्थितियों, यदि कोई हो, पर ध्यान दे सकता है।

सी.

38.3.नियोक्ता निर्णय लेते समय कर्मचारी पर लागू सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखेगा।

डी.

38.4.यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता का दमन या झूठी जानकारी है, जहां आवेदन/सत्यापन प्रपत्र भरने से पहले ही दोषसिद्धि या दोषमुक्ति दर्ज की जा चुकी है और ऐसा तथ्य बाद में नियोक्ता के संज्ञान में आता है, तो मामले के लिए उपयुक्त निम्नलिखित में से कोई भी उपाय अपनाया जा सकता है:38.4.1.तुच्छ प्रकृति के मामले में जिसमें दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, जैसे कि कम उम्र में नारे लगाना या एक छोटे से अपराध के लिए जिसका खुलासा होने पर कोई पदधारी विचाराधीन पद के लिए अयोग्य नहीं होता, नियोक्ता अपने विवेकानुसार, तथ्य या झूठी जानकारी के इस तरह के दमन को नजरअंदाज कर सकता है।

ई.

एफ.

38.4.2.जहां मामूली प्रकृति के मामले में दोषसिद्धि दर्ज की गई है, नियोक्ता कर्मचारी की उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है या उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।

38.4.3.यदि तकनीकी आधार पर नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराध से जुड़े मामले में बरी होना पहले ही दर्ज किया जा चुका है और यह निर्दोष बरी होने का मामला नहीं है, या उचित संदेह का लाभ दिया गया है, तो नियोक्ता पूर्ववृत्त के रूप में

उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर सकता है, और कर्मचारी के बने रहने के बारे में उचित निर्णय ले सकता है।

जी.

एच.

38.5.ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने एक समाप्त आपराधिक मामले की सच्चाई से घोषणा की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

38.6.यदि तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में चरित्र सत्यापन प्रपत्र में तथ्य को सच्चाई से घोषित किया गया है, तो नियोक्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपने विवेक से, ऐसे मामले के निर्णय के अधीन उम्मीदवार की नियुक्ति कर सकता है।

बी.

38.7.कई लंबित मामलों के संबंध में तथ्य को जानबूझकर दबाने के मामले में ऐसी झूठी जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी और एक नियोक्ता उम्मीदवारी को रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकता है क्योंकि एक व्यक्ति की नियुक्ति जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित थे, उचित नहीं हो सकता है।

सी.

38.8.यदि आपराधिक मामला लंबित था लेकिन फॉर्म भरने के समय उम्मीदवार को इसकी जानकारी नहीं थी, तो भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियुक्ति प्राधिकरण अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा।

डी.

38.9.यदि कर्मचारी की सेवा में पुष्टि हो जाती है, तो दमन या सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी जमा करने के आधार पर समाप्ति/निष्कासन या बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले विभागीय जांच करना आवश्यक होगा।

ई.

38.10.दमन या गलत जानकारी का निर्धारण करने के लिए प्रमाणन/सत्यापन प्रपत्र विशिष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं।केवल ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था।यदि माँगी गई लेकिन प्रासंगिक जानकारी नियोक्ता के ज्ञान में आती है, तो फिटनेस के सवाल को संबोधित करते समय वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार किया जा सकता है।हालाँकि, ऐसे मामलों में दमन या गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि इस तथ्य के बारे में पूछा भी नहीं गया था।

एफ.

जी.

38.11.इससे पहले कि किसी व्यक्ति को दमनकारी सच्चाई या सुझाव देने वाले झूठ का दोषी ठहराया जाए**,** तथ्य का ज्ञान उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए।**”**

14. अवतार सिंह (ऊपर) में, हालांकि यह न्यायालय मुख्य रूप से ए के गैर-प्रकटीकरण या गलत प्रकटीकरण के सवाल से संबंधित था।

एच.

1145

मध्य प्रदेश राज्य बनाम अभिजीत सिंह पवार [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

जानकारी के लिए, पैराग्राफ 38.5 में यह देखा गया कि ऐसे मामलों में भी जहां किसी निष्कर्षित मामले के बारे में सच्चा खुलासा किया गया था, नियोक्ता को अभी भी उम्मीदवार के पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार होगा और उसे ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

15. वर्तमान मामले में, जिस तारीख को प्रत्यर्थी ने आवेदन किया था, उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित था।इस तरह के लंबित होने का खुलासा करने वाला एक हलफनामा दायर किए जाने के बाद ही समझौता किया गया था।अपराधों के संयोजन और Cr.P.C की धारा 320 (8) के तहत बरी होने के प्रभाव के मुद्दे पर, इस न्यायालय द्वारा मेहर सिंह (ऊपर) में घोषित कानून, विशेष रूप से पैराग्राफ 34 और 35 में, इस मुद्दे को पूरी तरह से समाप्त करता है।एक उम्मीदवार द्वारा खुलासा किए जाने के बाद भी, नियोक्ता उम्मीदवार के पूर्ववृत्त और उपयुक्तता पर विचार करने के अपने अधिकारों के भीतर होगा।इस पर विचार करते हुए, नियोक्ता निश्चित रूप से उस नौकरी की रूपरेखा को ध्यान में रख सकता है जिसके लिए चयन किया जाता है, उम्मीदवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता और क्या प्रश्न में बरी होना एक सम्मानजनक बरी होना था या केवल संदेह के लाभ के आधार पर या रचना के परिणामस्वरूप था।16. न्यायमित्र श्री डेव द्वारा मोहम्मद इमरान

(ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय पर रखी गई निर्भरता बिल्कुल सही नहीं है और कहा गया है कि निर्णय प्रत्यर्थी के लिए किसी भी सहायता का नहीं हो सकता है।उक्त निर्णय के पैरा 5 में, इस न्यायालय ने पाया था कि उसमें अपीलार्थी के खिलाफ एकमात्र आरोप यह था कि वह एक ऑटो-रिक्शा में यात्रा कर रहा था जो ऑटो-रिक्शा का पीछा कर रहा था जिसमें मुख्य अभियुक्त, जिस पर भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 376 के तहत आरोप लगाया गया था, विचाराधीन अभियोजक के साथ यात्रा कर रहा था और सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया क्योंकि अभियोजक ने आरोप का समर्थन नहीं किया था।मोहम्मद इमरान (ऊपर) में निर्णय इस प्रकार व्यक्तिगत तथ्यों पर बदल गया और किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की रेखा से अलग था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

मेहर सिंह **(**ऊपर**),** परवेज खान **(**ऊपर**)** और प्रदीप कुमार

(ऊपर)।17. हमें इस स्तर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय किसी भी तरह से दुर्भावना से प्रेरित था या किसी अन्य कारण से पीड़ित था।प्रत्यर्थी की उपयुक्तता के सवाल पर निर्णय, हमारे विचार में, बिल्कुल सही था और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।इसलिए, हम इस अपील की अनुमति देते हैं, एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णयों के साथ-साथ

जी.

एच.

डिवीजन बेंच ने प्रत्यर्थी द्वारा 2013 की रिट याचिका No.9412 को खारिज कर दिया। कोई लागत नहीं।

18. अलग होने से पहले, हमें श्री सिद्धार्थ दवे, विद्वान न्यायमित्र द्वारा किए गए प्रयासों और उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करनी चाहिए।

बी.

निधि जैन

अपील की अनुमति दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.